वर्ष 4, अंक 84 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

सितम्बर 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

ऐसे समय जब देश में महिला एवं पुरुषों के बीच लिंग अनुपात कम होता चला जा रहा है और जन्म-पूर्व निदान अधिनियम (जिसके द्वारा अजन्मे बच्चे का पूर्व-लिंग निर्धारण किया जाना वर्जित करार दिया गया है) बुरी तरह असफल हो गया है, पंजाब के नवां शहर जिले में घटते लिंग अनुपात को पलटने की दिशा में एक मिसाल कायम की गयी है। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 808 थी, किन्तु लोगों को प्रेरणा देकर तथा स्थिति पर निगरानी रख कर दो वर्ष में यह अनुपात 1000 पुरुषों पर 975 महिलाओं का हो गया।

पंजाब राज्य का (जहां लिंग अनुपात देश में सबसे कम है) यह असाधारण कारनामा एक व्यक्ति की जिहादी लगन का परिणाम है जिसने यह महसूस किया कि अनियंत्रित नारी भ्रूणहत्या के विरुद्ध यदि तुरन्त उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी तो समाज को असाध्य क्षति पहुंचेगी तथा भविष्य में महिलाओं की स्थिति पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।

डिप्टी कमीश्नर कृष्ण कुमार ने अपने पदाधिकारियों को गांवों को 'गोद लेने' और गर्भवती महिलाओं का पता रखने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही, उन्होंने आने वाले समय में पंजाब का गंभीर परिदृश्य लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसमें, प्रतिकूल लिंग अनुपात के फलस्वरूप, प्रति 1000 पुरुषों में से 202 को पत्नियाँ नहीं मिल सकेंगी और प्रतिक्रियास्वरूप सैक्स हिंसा तथा महिलाओं के अनैतिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा सामाजिक स्थायित्व डगमगा जायेगा।

चर्चा में — लड़की के लिए आशा की किरण

श्री कृष्ण कुमार की रणनीति सरल थी - पुरस्कार और दंड का मिश्रण। गत अक्टूबर में, उन्होंने 30 अल्ट्रसोनिक क्लिनिकों के लगभग 170 निरीक्षण किए जिनमें से सात को अस्थायी रूप से और एक को सदा के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही, यदि कोई युगल लड़की के भ्रूण का गर्भपात कराता है तो उन्हें जिला अधिकारियों को इसका कारण देना होगा। यदि उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, तो उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, श्री कुमार ने जिला स्तरीय समन्वय समितियां स्थापित कीं और पंचायतों से वायदा किया कि यदि लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं का हो गया तो उन्हें 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। जिस पंचायत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होगी, उसे 3 लाख रुपये और भी दिए जायेंगे। भ्रूणहत्या की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

निःसंदेह, श्री कृष्ण कुमार अन्य डिप्टी कमिश्नरों के लिए, जिनके पास उतने ही अधिकार हैं किन्तु संकल्प की कमी है, एक जीता-जागता उदाहरण हैं। प्रतिकूल लिंग अनुपात को पलटने के लिए, उनकी रणनीति देश के अन्य जिलों में भी अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए केवल दूरदर्शिता, संकल्प और पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार

सूर्य संस्थान ने नोएडा के क्रिभको ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक है और उनका सशक्तिकरण परिवार एवं समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। उन्होंने कहा कि सतत् संघर्ष के बावजूद भी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को योग्य सिद्ध कर रही हैं।

द्वितीय सत्र में, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्षा सुश्री मृदुला सिन्हा ने कहा, "हमें परिवार के सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए क्योंकि इसे महिला सशक्तिकरण से पृथक नहीं किया जा सकता।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक महिला आत्म-निर्भर होनी चाहिए।

सूर्य संस्थान ने 'सूर्याशा' नाम से एक महिला पॉलीटेकनिक खोला है। उसमें विधवाओं, परित्यक्ताओं, शारीरिक रूप से असहाय तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को छूट दी जायेगी।

सेमिनार में अध्यक्षा का स्वागत

राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं की बैठक

निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, 22 अगस्त, 2006 को राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाओं की एक बैठक बुलाई गयी : वर्ष 2006-07 के लिए आयोग की कार्य योजना ● विभिन्न राज्यों में 'चलो गांव की ओर' योजना का कार्यान्वयन ● सभी राज्यों में महिला आयोगों की कानूनन स्थापना ● एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान करना जो राज्यों के महिला आयोगों द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से कार्यान्वित किया जा सके ● बाल विवाह विरोध अभियान का विभिन्न राज्यों में चलाया जाना ● विभिन्न राज्यों में जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का क्रियान्वयन ● विभिन्न राज्यों में अनैतिक व्यापार से संबंधित समस्याएं और उनके निराकरण के लिए किए जाने वाले उपाय।

राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि तृणमूल स्तर पर पद-दलित महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किए गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगों ने अपना एक स्थान बना लिया है। किन्तु महिलाओं का उत्थान करने तथा उन्हें सशक्तिकृत करने के लिए कहीं अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों तथा स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत कराने का अभियान चलाया है। उन्होंने राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम को गांव-गांव में पहुंचाये। उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर ग्राम सेवकों के साथ एक या डेढ़ दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाये ताकि ग्रामीणजन नारी भ्रूणहत्या, जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण अधिनियम, सहकारिता आन्दोलन आदि से अवगत हो सकें।

राज्य आयोगों द्वारा क्षेत्र/राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले सेमिनारों के विषयों की पहचान की गयी जो इस प्रकार हैं : यौन उत्पीड़न; महिलाओं के प्रति अपराध; कोकराझार तथा कारबी अंगलोंग के सशस्त्र संघर्ष की पीड़ित महिलाएं; वैश्वीकरण का त्रिपुरा में प्रभाव; पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की समस्याएं; मंत्रणादाताओं पर कार्यशाला; विशाखा मार्ग कार्यशाला; नारी भ्रूणहत्या; अनैतिक व्यापार की शिकार महिलाओं का बचाव करना; साक्षियों के संरक्षण का कार्यक्रम; विवाहों के पंजीकरण पर कार्यशाला।

राज्यों की महिला आयोगों की अध्यक्षाएं

विशेषज्ञ समिति की बैठक

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय महिला आयोग के और अधिक कार्यक्रम क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशेषज्ञ समिति की एक बैठक बुलाई गयी।

इस अवसर पर बोलते हुए डा. गिरिजा व्यास ने बतलाया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने यद्यपि अपने बजट का 10 प्रतिशत भाग उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खर्च करने की व्यवस्था की है, तथापि वहां के गैर सरकारी संगठनों से बहुत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण आयोग यह राशि व्यय करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ गैर-सरकारी संगठनों की विश्वस्तता की सूचना के अभाव में भी यह कठिनाई आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग द्वारा तैयार किया गया 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों से आगे बढ़ कर गांवों के स्तर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कानूनी जागरुकता कार्यक्रम 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा सकता है।

चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि "प्रचलित प्रथाओं के परिप्रेक्ष्य में नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका" विषय पर क्षेत्र स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर-पूर्व में 15 सितम्बर, 2006 तक आयोजित किया जाये और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों पर क्षेत्र या राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जायें : शराब खोरी/नशीली दवाओं के सेवन की समस्या; सशस्त्र संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न महिलाओं की समस्याएं; घरेलू हिंसा; अनैतिक व्यापार/एड्स।

विशेषज्ञ समिति की बैठक

नारी भ्रूणहत्या को रोकने के उपाय

घटते हुए लिंग अनुपात को रोकने के उद्देश्य से आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने 'गर्भ-पूर्व एवं जन्म-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम' के क्रियान्वयन तथा निगरानी में कड़ाई बरतने के लिए एक बहुमुखी कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया है।

फिक्की महिला संगठन द्वारा 'महिलाओं के बिना राष्ट्र' विषय पर आयोजित एक पेनल चर्चा का उद्घाटन करते हुए, डा. व्यास ने लिंग अनुपात गिरने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके गंभीर जनांकिकी एवं सामाजिक परिणाम निकलेंगे। गर्भ-पूर्व एवं जन्म-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 का प्रभावी कार्यकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए डॉक्टरों, वकीलों, समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल पैदा करने और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां नारी भ्रूणहत्या संबंधी कानून में सुधार अथवा उसका बेहतर कार्यान्वयन जरूरी है।

अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सोनोग्राफी के पंजीकरण के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए और अधिनियम की धारा 17क के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार की समस्त शक्तियां एक साथ मिला दी जानी चाहिए।

डा. गिरिजा व्यास पेनल चर्चा को संबोधित करते हुए। उनके दायें सुश्री मुक्तानंदिनी जैन

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने कोलकाता में एक कानूनी जागरुकता शिविर में भाग लिया जिसमें 50 महिलाएं उपस्थित थीं। बाद में उन्होंने विकास अध्ययन संस्थान में महिलाओं से संबंधित कानूनों पर भाषण दिया। वह खिदिरपुर में सिक लाइन स्लम देखने भी गयीं और महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने कहा कि इस क्षेत्र में स्कूल स्थापित करने एवं स्वयं सहायी ग्रुप बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता है।

  सुश्री भट्टाचार्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गयीं जहां विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा 'उत्तर भारत में महिलाओं के भूमि अधिकार' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी। उन्हें इस विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र की अंतरंग वार्षिक परामर्श निगरानी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

  दक्षिण 24 परगना में उन्होंने विवेकानन्द कॉलेज में कानूनी जागरुकता कार्यक्रम पर मुख्य भाषण दिया। बाद में, पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग द्वारा 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम का समारंभ किए जाने के समारोह में उन्होंने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने 'जागो नारी ग्राम जगाओ' शीर्षक पुस्तिका का विमोचन किया।

  गया में उन्होंने गया सेन्ट्रल जेल के महिला कक्ष का निरीक्षण किया जहां केवल 14 महिला बंदियों के लिए स्थान है, किन्तु 80 विचाराधीन एवं सजायाफ्ता महिलाएं रह रही हैं। तत्पश्चात्, उन्होंने 'महिलाओं के लिए कारोबरी शिक्षा' विषय पर एक राज्य स्तरीय सेमिनार का उद्घाटन किया।

- सदस्या निर्मला वेंकटेश ने हैदराबाद में नीलोफर बाल एवं महिला अस्पताल का निरीक्षण किया जहां एक के बाद एक कई मृत्यु होने का समाचार मिला था। मरीजों ने डॉक्टरों तथा स्टॉफ की लापरवाही की शिकायत की। अस्पताल का कार्यकरण सुधारने के लिए सदस्या ने अनेक सिफारिशें कीं। बाद में, वह बंगलौर गयीं और होसपेट पहुंची जहां उन्होंने खदान मजदूरों से बातचीत की। तत्पश्चात्, वह जिला बेलगाम स्थित सौनदत्ती गयीं और देवदासियों के साथ उनकी समस्याओं तथा उनके पुनर्वास के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।

  बंगलौर में, उन्होंने द्विविवाह के एक मामले की जांच की जिसमें येल्लापुर की निवासी लता को कुमार नामक एक व्यक्ति ने धोखा दिया था। उन्होंने विजयलक्ष्मी के मामले की भी जांच की जिसमें उसके शराबी पति ने उसे मारा-पीटा था। बाद में, वह 'कारोबार में लिंग संबंधी मुद्दे' विषय पर एक कार्यशाला में भाग लेने तिरुपति गयीं। तत्पश्चात्, तिरुमल देवस्थानम की महिला कर्मचारियों के साथ उन्होंने बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं।

- सदस्या मंजु हेमब्रोम ने रांची में 'महिलाओं के अधिकार और सरकारी विधान' पर एक कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है और अनेक ऐसे कानून हैं जिनमें पुरुषों एवं महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। परन्तु आदिवासी महिलाओं का शोषण आम बात है और उनकी दशा में तभी परिवर्तन आ सकता है जब वे अपने अधिकारों के लिए दबाव डालें।

- सदस्या नीवा कंवर ने गुवाहाटी में 'महिलाओं पर घरेलू हिंसा' विषयक कार्यशाला में भाग लिया।

आयोग लिंग परिक्षण किट प्रस्तुत करने वाले वेबसाइट पर रोक लगाने के पक्ष में

गर्भवती महिलाओं के लिए लिंग परीक्षण किट प्रस्तुत करने वाले वेबसाइट पर चिंता व्यक्त करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर इस पर रोक लगाने के उपाय ढूंढने को कहा है।

वेबसाइट, मूल्य लेकर, एक 'लिंग परामर्शी' किट प्रस्तुत करता है जिसमें प्रत्याशी माता के रक्त का नमूना डी.एन.ए. परीक्षण के लिए डाक द्वारा भेजा जाता है और 48 घंटे के अंदर लिंग का निर्धारण करके ई-मेल द्वारा सूचना भेज दी जाती है।

आयोग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ए. रामदास और दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को भी पत्र लिखकर उनका ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा है और अविलंब हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

झारखंड की लड़की उत्तरी रेलवे में पहली रेल ड्राइवर बनी

झारखंड की एक युवा आदिवासी लड़की लक्ष्मी लकरा उत्तरी रेलवे में पहली महिला रेल ड्राइवर बन गयी है।

27 वर्षीय लक्ष्मी रांची से इलैक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लेकर उत्तरी रेलवे में पहली महिला इंजन ड्राइवर बन गयी। इससे पूर्व, मुम्बई की सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला रेल ड्राइवर बनी थी।

वह 372 प्रशिक्षार्थियों के बीच केवलमात्र महिला थी। नौ महीने के प्रशिक्षण के बाद वह उत्तर रेलवे में इंजन ड्राइवर बनी।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन